

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 के अन्तर्गत डा० अमिताभ घोष, संयुक्त निदेशक  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को अपीलीय प्राधिकार के रूप में पदाविहित किया  
जाये।

2. यह आदेश निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।
3. अपीलीय प्राधिकार के रूप में पदाविहित पदाधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम  
2005 के अन्तर्गत निर्धारित उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे।
4. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
5. पूर्त निर्गत विभागीय आदेश 1336 दिनांक - 01.06.12 को इस रूप में संशोधित  
समझा जाये।

इ0/-  
उप सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।

दिनांक - वि० प्रा० (1) व<sup>2</sup> - 152/05 ..... पटना, दिनांक - .....  
प्रधानीय - मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/महानिदेशक विपार्ड,  
वाल्पी, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय  
आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

३०१-  
उप सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।

दिनांक - वि० प्रा० (1) व<sup>2</sup> - 152/05 ..... २५/१२ पटना, दिनांक - ..... / १७-१२-८८  
प्रधानीय - डा० अमिताभ घोष, संयुक्त निदेशक (वि०), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/  
परीक्षा, नियन्त्रक, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना/सभी पदाधिकारी/सभी सहायक  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१११२  
उप सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।

१५/१२